

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
दिनांक 05.04.2007

फाईल नम्बर:-9-PBC1128/2006-CHA

3380-89

सेवा में,

वित्तायुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लधु सचिवालय, सेक्टर- 9
चण्डीगढ़ ।

विषय:-

Diversion of 18.00 hec of forest land for Widening & Strengthening of Kharar-Banur-
Tepla road Km 0.00 to 18.4 B/S Forest Division & Distt. Rupnagar, Punjab.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में सम्बन्धित नोडल आफिसर पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA-1980/3172/
3162 दिनांक 17.10.2006 एवं दिनांक 15.03.2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-
2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।


राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 18.00 हैक्टेयर वन
भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष / पौधे कटवाये जायेंगे, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 4727 वृक्षों से अधिक नहीं होगी
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Sirhind Canal RD 37-91 B/S SYL 64-75 B/S में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रु 2,34,64,853/- (रु दो करोड चौत्तीस लाख चौसठ हजार आठ सौ तरेप्पन मात्र) की राशि से किया जायेगा।
प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
5. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी ।
6. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण) , ब्लाक -11 भूतल सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स , फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करायेगी ।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

Contd...2

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्ध कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय



(श्री कृष्ण सहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

- प्रतिलिपि:-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बेज बिल्डिंग, सेक्टर 17, चण्डीगढ़ ।
 2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
 3. Divisional Forest Officer, Rupar ,Punjab.
 4. The Executive Engineer Central Works Division , Pb. PWD B&R, SCO -2, Phase 6 Mohali, Punjab.
 5. गार्ड फाईल ।

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज नम्बर 24-25,
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़ ।

दिनांक 27.03.2007

फाईल नम्बर:-9-PBC1129/2006-CHA / 2712-16

सेवा मे,

वित्तायुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लधु सचिवालय, सेक्टर- 9,
चण्डीगढ़ ।

विषय:-

Diversion of 28.308 hec of forest land for widening and strengthening of Kharar
-Banur-Tepla road Km 18.4 to 39.500 , Forest Division & Distt. Patiala, Punjab.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में संबन्धित इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक 15.03.2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गई । इस कार्यालय के दिनांक 15.03.2007 को जारी पत्र के कालम संख्या 2 और 3 में क्रमशः निम्नलिखित पढ़ा जाये :-

2. कम से कम वृक्ष/पौधों कटवाये जायेंगे, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 7575 वृक्ष और 35277 पौधों से अधिक नहीं होगी ।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Bir Pir Muchhela 15 hec., Bir Dadrala 15 hec., Patiala Ambala Kham road 10 hac. Bir Majhal 10 hac, Bir Sanour & Kartarpura 10 hec. Banur Canal RD 65 to 100 10 hec., Doda Galwati Drain RD 0-25 10 hec. Total 80 hec. में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रू 2,23,97,369/- (रू दो करोड़ तेईस लाख सत्तानवे हजार तीन सौ उन्नहत्तर मात्र) की राशि से किया जायेगा । प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.03.2007 को जारी पत्र की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेगी ।

भवदीय

(श्री कृष्ण राहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बेज बिल्डिंग, सेक्टर 17, चण्डीगढ़ ।
2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
3. Divisional Forest Officer, Patiala, Punjab.
4. Executive Engineer Central Works Division, Pb. PWD B&R Br. Mohali, Punjab.
5. गार्ड फाईल ।

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

नेज नम्बर 24-25,
दक्षिण मार्ग
रोक्टर 31 ए
चण्डीगढ़ ।
दिनांक 15.03.2007

फाईल नम्बर:-9-PBC1129/2006-CHA
सेवा मे,

12596 + 2600

वित्तायुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लधु सचिवालय, सेक्टर- 9,
चण्डीगढ़ ।

विषय:-

Diversion of 28.308 hec of forest land for widening and strengthening of Kharar
-Banur-Tepla road Km 18.4 to 39.500, Forest Division & Distt. Patiala, Punjab.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में सम्बन्धित नोडल आफिसर, पंजाब सरकार पत्र संख्या FCA-1980 /
3172/3162 दिनांक 17.10.2006 एवं दिनांक 13.03.2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की
धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 28.308 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-


1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष/पौधों कटवाये जायेंगे। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 5 वृक्ष और 15 पौधों से अधिक नहीं होगी।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Bir Pir Muchhela 5 hec., Bir Dadrala 5 hac., Patiala Ambala Kham road 10 hac. Bir Majhal 10 hac, Bir Sanour & Kartarpura 10 hec. Banur Canal RD 65 to 100 10 hec., Doda Galwati Drain RD 0-25 10 hec. Total 80 hec.** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रु 2,23,97,369/- (रु दो करोड़ तेईस लाख सत्तानवे हजार तीन सौ उन्नहत्तर मात्र) की राशि से किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
4. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
5. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक -11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 में जमा कराया जाये।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

Contd....2/-

7. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय



(श्री कृष्ण सहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़ ।
2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
3. Divisional Forest Officer, Patiala, Punjab.
4. Executive Engineer Central Works Division, Pb. PWD B&R Br. Mohali, Punjab.
5. गार्ड फाईल ।

o/e